न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 94/2023

प्रकरण दर्ज तिथि :— 24.08.2023

जीसीएमएस नम्बर :— 2023/211

श्रीमति विमला पुत्री स्व0 कालुराम जी पत्नि सत्यनारायण उम्र 30 वर्ष जाति माली निवासी झूठा रोड रायपुर तहसील रायपुर जिला पाली

.....वादीया

बनाम

1— पपीया पुत्र बालुराम जाति माली
2—जगदीश पुत्र सुखा जाति माली
3—रमेश पुत्र सुखा जाति माली
4—कमली पत्नि सुखा जाति माली
5—कौशल्या पुत्र सुखा जाति माली
6—कान्ता पुत्री सुखा जाति माली
7—श्रीमान उपपंजीयन अधिकारी महोदय जी रायपुर
8—श्रीमान तहसीलदार महोदय जी तहसील कार्यालय रायपुर
9—श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी जिला पाली

————प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री धर्माराम पालड़िया अधिवक्ता वादीगण

2 प्रतिवादीगण श्री भूपैन्द्र सैन

निर्णय

दिनांकः 15.01.2024

वादी की ओर से वकील श्री धर्माराम पालड़िया द्वारा दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा रायपुर द्वितिय पटवार हल्का रायपुर द्वितिय तहसील रायपुर जिला पाली मे निम्न वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2022 रकबा 1.0926 चाही प्रथम , खसरा नम्बर 2023 रकबा 1.1412 है0 चाही सोयम , खसरा नम्बर 2071 रकबा 0.0081 है0 गै.मु.बेरा ,खसरा नम्बर 2072 रकबा 0.1214 है0 गै.मु. सडा , खसरा नम्बर 2073 रकबा 1.7806 है0 चाही सोयम , खसरा नम्बर 2074 रकबा 1.1250 है. चाही सोयम , खसरा नम्बर 2076 रकबा 2.6547 है. चाही सोयम , खसरा नम्बर 2077 रकबा 0.6637 है. चाही सोयम , खसरा नम्बर 2078 रकबा 0.9146 है. चाही सोयम कुल खसरा 9 कुल रकबा 9.5019 है0 चली आ रही है। जिसकी जमाबन्दी वाद के साथ पेश है जिसे वाद का आवश्यक भाग समझा जावे।उक्त भूमियो को आगे वाद मे वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी स्व. बालुराम पुत्र उमा जी कौम माली की खातेदारी कब्जे काश्त की पैतृक कृषि भूमि थी व खातेदारी बालुराम जी के नाम जारी की गई जमाबन्दी सवत् 2053 से 2056 की प्रमाणित नकल वाद के साथ पेश है जिसे वाद का आवश्यक भाग समझा जावे। वादग्रस्त आराजी मे बालुराम जी का 1/8 वॉ हिस्सा आता है उक्त वाद मे सिर्फ बालुराम जी के हिस्से को लेकर ही विवाद है। अन्य सहकाश्तकारो से किसी प्रकार का विवाद नही होने से उन्हे उक्त वाद मे पक्षकार नही बनाया जा रहा है। स्व.बालुराम का देहान्त कुछ वर्ष पूर्व यानि हिन्दू उत्तराधिकार एक्ट 1956 के प्रभाव मे आने व लागू होने के पश्चात हुआ , वादग्रस्त कृषि भूमि जिसके खातेदार काश्तकार बालुराम जी थे। जिनका वंश वृक्ष निम्न प्रकार है—

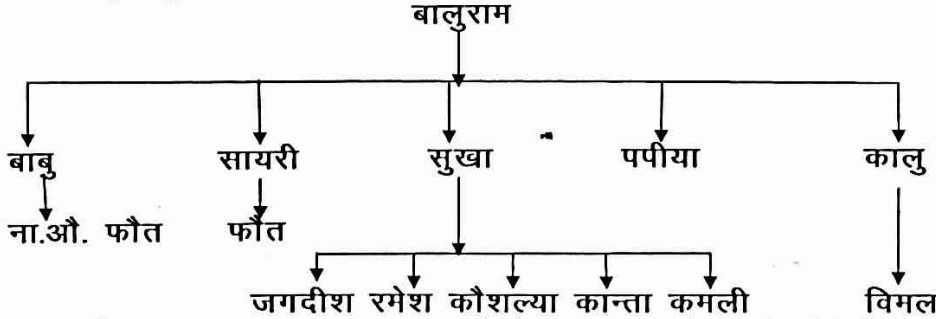

उपरोक्त वंश वृक्ष अनुसार वादग्रस्त आराजी के स्व. बालुराम जी के फौत होने के बाद उनकी वादग्रस्त कृषि भूमि मे माफिक हिन्दु उत्तराधिकार एक्ट 1956 की धारा 8 के अनुसार बाबु ,सायरी ,सुखा , पपीया व कालु चले आ रहे है , बाबु ना औ. फौत व सायरी भी फौत हो चुकि है ओर कालु की मृत्यु पूर्व के हो चुकि थी एंव सुखा भी फौत हो चुके है इसलिये पौत्री यानि वादी व प्रतिवादगण 1 से 6 बतौर उत्तराधिकारी के वादग्रस्त भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है। बालुराम के फौत के बाद उसके उत्तराधिकारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ही है। बालुराम जी के फौत होने पश्चात उसके खातेदार वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी एक्ट की धारा 40 मे अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व

प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के पिता सुखा व उनके फौत के बाद प्रतिवादी संख्या 2 से 6 है जो जाति से हिन्दु है उनके परसनॅर लॉ हिन्दु उत्तराधिकार एक्ट 1956 के अनुसार खातेदारी राईट बालुराम जी के उपरोक्त उत्तराधिकारीयो को प्राप्त हुए ,मगर प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 ने व उनके पिता स्व.सुखा ने मिलिभक्ति कर पद संख्या 1 मे वर्णित भूमि हेतू पटवारी हल्का रायपुर द्वारा म्युटेशन संख्या 63 के द्वारा प्रतिवादीगण पपीया व स्व0 सुखा व स्व0 सायरी व स्व बाबु के नाम ही भरा गया। जबकि कालु जो बालुराम जी का पुत्र था जिसकी मृत्यु हो चुकि थी तो वादीया जो स्व. कालुराम जी कि जायन्दा पुत्री है एंव स्व. बालुराम जी की पौत्री के नाम म्युटेशन मे दर्ज नही किये गये ,जो नामान्तरण वादीया के हितो व अधिकारो के विपरित होने से अवैध व प्रभावशुन्य है, उक्त म्युटेशन के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात के जमाबन्दीयो मे प्रतिवादी संख्या एक व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के पिता व स्व0 सायरी व स्व0 बाबु के नाम ही जमाबन्दी मे दर्ज किये गये जो सरासर गलत अवैध है। जबकि वादीया स्व. बालुराम जी के पुत्र कालुराम की जायन्दा पुत्री है , जो बतौर वारीसान हिन्दु उत्तराधिकार के माफिक दर्ज किया जाना आवश्यक था परन्तु बिना विधिक प्रकिया तथा बिना वादी को नोटिस दिये ही स्व. बालुराम जी के वारिसान के रूप मे प्रतिवादी संख्या एक व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के नाम ही दर्ज किया गया जो नामान्तरण 69 काबिले निरस्त है। जमाबन्दी व म्युटेशन की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है।जिसे वाद का आवश्यक भाग समझा जावे। वादग्रस्त आराजी मे स्व बालुराम जी का 1/8 हिस्सा आता है। अर्थात वादग्रस्त आराजी मे बाबु के ना औलाद फौत होने व सायरी के फौत हो से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24 व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का 1/24 व वादीया का 1/24 वॉ हिस्सा बतौर उत्तराधिकारी के खातेदार काश्तकार हुये है। केवल फौतेदगी म्युटेशन मे वादी का नाम दर्ज नही करने से वादी के पिता के हिस्से की वादग्रस्त आराजी मे 1/24 हिस्से के अधिकार समाप्त नही होते है । वादी 1/24 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक व पिता कि सयुक्त हिन्दु मुस्तरका खानदान (एच एफ यू) की अविभाजित शामलाती कृषि भूमि है । प्रतिवादीगण संख्या एक व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के पिता के पक्ष मे मरा गया म्युटेशन संख्या 69 काबिले निरस्त है वादी के हितो के विरूद बेअसर है तथा अवैध व गैर कानूनी है एंव नल एण्ड वोईड है व प्रभाव शुन्य है। वादीया स्व0 बालुराम जी कि पौत्री व स्व0 कालुराम जी की पुत्री है उनकी उत्तराधिकारी है जिन्हे भूमि का वादीया को खातेदारी घोषित कराया जाने का हक अधिकार है। वादीया उक्त भूमि मे बने मकानात मे ही पली व बडी हुई है ओर अपने दादा स्व0 बालुराम व बाबु जी के सरक्षण मे ही रही है ओर बडी हुई है स्व0 बालुराम जी व बाबु जी ने ही उसे पाला व पौसा है बडा किया है। वादीया को वर्तमान मे कृषि भूमि को उपजाउ बनाने हेतू रूपयो की आवश्कता हुई तब लोन लेने हेतू जमाबन्दी की नकल दिनांक 20.07.23 को प्राप्त करने पर प्रथम बार जानकारी हुई की वादीया का नाम जमाबन्दी मे दर्ज नही है तब दिनांक 23.07.23 को नामान्तरण की नकले प्राप्त होने पर सम्पूण जानकारी हुई। तब वादी ने बकाया जमाबन्दी की नकल प्राप्त कि तब तमाम राजस्व रेकर्ड प्राप्त कर वादी का नाम जमाबन्दी मे नही होने की जानकारी वादीया को प्रथम बार जानकारी हुई। वादी अनपढ व पर्दाशीन औरते है उन्हे राजस्व रेकर्ड की जानकारी नही रही ,उन्होने सोचा की उनके नाम राजस्व रेकर्ड मे आ गये होंगे पर उपरोक्त राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित नकले प्राप्त होने पर जानकारी हुई । तब वादी ने प्रतिवादीगण से कहा की वादी का नाम जमाबन्दी मे नही आया है उसे दुरूस्त करवाओ तो प्रतिवादीगण दिनांक 02.08.23 को इन्कार हो गये व वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग मे बाधा अडचन करने लग गये कहने लगे कि वादग्रस्त आराजी उनकी है वादी का कोई हक अधिकार नही है ,प्रतिवादीगण ने वादी को ऐलानिया धमकिया दी कि वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर देगे। इसलिये वादी अपने हक व अधिकारो कि सुरक्षा हेतु यह वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान न्यायालय मे पेश है प्रतिवादीगण वादी की वादग्रस्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि मे वादी की 1/24 हिस्से की भूमि मे वादी काश्त करे या करावे ,काश्त मुतालिक कार्य करे या रहवास करे इसके लिये किसी प्रकार कि दखलन्दाजी करने व वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादीगण के नाम म्युटेशन से नाम आ जाने के आधार पर वादग्रस्त भूमि को बेचान ,रहन, बख्शीश करने व सरकारी व अर्दसरकारी ऋण लेने पर आमादा है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया जाता है तो वादी को अहसनीय व अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही है व वादी को रूपयो व पेसो मे ना आके जाने वाली असहनीय व अपूर्णीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण संख्या 7,8,9 राज्य सरकार के अधिकारीगण है जिनके विरूद वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है लेकिन नोटिस देने व इसकी अवधि समाप्त होने तक प्रतिवादीगण अपने मकसद मे कामयाब हो जायेगे , वह वादी को उक्त गलत म्युटेशन व जमाबन्दी मे नाम के आधार पर उनके हितो व अधिकारो से वंचित कर देगे, वादग्रस्त भूमि को बेचान हस्तान्तरण कर देंगे ओर वादीया को बेदखल कर देंगे ,जिससे वादी को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा। जिसकी क्षति पुर्ति किसी तरह सम्भव नही होगी , वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण बिना नोटिस दिये ही श्रीमान से अनुमति लेकर वाद पेश किया जा रहा है , अनुमति प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। वादीगण को फौतेदगी म्युटेशन व राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम नही होने का राजस्व रेकर्ड कि प्रमाणित प्रति दिनांक 20.07.23 व नामान्तरण कि प्रति दिनांक 23.07.23 को प्राप्त होने पर राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम नही होने का सर्व प्रथम बार जानकारी हुई। दिनांक 2.08.23 को वादीगण को वादग्रस्त आराजी पर से बेदखल करने की धमकी देने से पर बमुकान रायपुर तहसील रायपुर मे पैदा हुई जो अन्दर म्याद है । जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। डिकि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के घोषणात्मक डिकि वादग्रस्त आराजीयात के विषय मे पारित कि जाकर वादी को वादग्रस्त भुमियो सरहद मौजा रायपुर द्वितिय पटवार हल्का रायपुर द्वितिय तहसील रायपुर जिला पाली मे निम्न वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2022 रकबा 1.0926 चाही प्रथम , खसरा नम्बर 2023 रकबा 1.1412 है0 चाही सोयम , खसरा नम्बर 2071 रकबा 0.0081 है0 गै.मु.बेरा ,खसरा नम्बर 2072 रकबा 0.1214 है0 गै.मु. सडा , खसरा नम्बर 2073 रकबा 1.7806 है0 चाही सोयम , खसरा नम्बर 2074 रकबा 1.1250 है. चाही सोयम , खसरा नम्बर 2076 रकबा 2.6547 है. चाही सोयम , खसरा नम्बर 2077 रकबा 0.6637 है. चाही सोयम , खसरा नम्बर 2078 रकबा 0.9146 है. चाही सोयम कुल खसरा 9 कुल रकबा 9.5019 है0 आयी हुई है जिसमे वादीया के पिता का 1/324 हिस्सा आता है उसी अनुरूप वादीया 1/24 वॉ हिस्सा आता है इसलिये वादीया को वादग्रस्त आराजी का 1/24 वॉ हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त विषय मे जो नामान्तकरण संख्या 69 को प्रतिवादी 1 व स्व0 सुखा व स्व0 सायरी के नाम खोल दिया गया है उसे तथा उसके आधार पर जो जमाबन्दी मे प्रतिवादीगण का गलत नाम दर्ज हो गया है उन सब को अवैध प्रभावशुन्य घोषित करते हुऐ निरस्त किया जावे तथा खातेदारी के कालम मे से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 अकेले का नाम निरस्त किया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर।

जाकर राजस्व रेकर्ड मे दुरस्ती फरमायी जावे । उपरोक्त हिस्से अनुसार रेकर्ड मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का नाम अमल दरामद फरमावे। वादी के हक मे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की प्रतिवादीगण सख्या 1 व 6 स्वंय तथा जरिये उनके नौकर चाकर ,दोस्त ,हाली ,ऐजेन्ट, मुख्तियार ,रिश्तेदार आदि वादग्रस्त आराजी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित ,परिवर्तित, क्षतिग्रस्त, भारग्रस्त, ऋणग्रस्त नही करे न करावे,न उसका रूपान्तरण करावे। साथ ही वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे न करावे। तथा प्रतिवादी संख्या 7,8,9 को पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 अथवा उसके मुख्तियार आम के द्वारा किये गये किसी भी हस्तान्तरण विलेख के विषय मे पंजीकरण करने तथा दाखिल खारीज खोलने की कार्यवाही नही करे न करावे।दौराने वाद किसी प्रकार का कब्जा या हस्तान्तरण या दाखिल खारीज कर दिया जाता है तो जरिये मेण्डेटरी व प्रोहिबेटरी आदेश के कब्जा वादी को दिलाया जावे व हस्तान्तरण व नामान्तकरण निरस्त फरमावे। इस वाद का सम्पूर्ण हर्जा व खर्चा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से ता 6 से दिलाया जावे तथा अन्य दादरसी मुफिद जो श्रीमान उचित समझे वह वादी को प्रदान की जावे।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता ने वकालतनामा मय राजीनामा पेश किया हैं, जो संलग्न किया गया हैं। जो राजीनामा तस्दीक किया गया हैं। प्रस्तुत राजीनामा में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर एवं समाज के मौजुज लोगो की आपसी समझाईश से आपस में राजीनामा हो चुका हैं वादीया विमला पुत्री स्व कालूराम जाति माली स्व कालूराम की पुत्री हैं तथा बालुराम के तीन पुत्र सुखा, पपीया व कालू चले आ रहे थें तथा बाबू ना औ फौत हो चुके थे। इसलिए वादग्रस्त भूमि सुखा व पपीया व कालू की रही। सुखा व कालू के फौत के बाद उनके उत्त्राधिकारियों वादी एवं प्रतिवादीगण का बराबर हक हिस्सा रहा है। इसलिए नामान्तरकरण संख्या 63 मे कालू जी का नाम छुट गया ओर वादी का नाम भी छूट गया। इसलिए वादीया का वाद जरिये राजीनामा वाद डिक्री जारी किया जाने हेतु निवेदन किया हैं।

वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी सहमति से उक्त वादपत्र पर बहस करना चाहते हैं। उभयपक्ष बहस समायत की गई। बहस में वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने बताया कि **सरहद मौजा रायपुर द्वितिय पटवार हल्का रायपुर द्वितिय के खसरा नम्बर 2022 रकबा 1.0926 चाही प्रथम , खसरा नम्बर 2023 रकबा 1.1412 है0 चाही सोयम , खसरा नम्बर 2071 रकबा 0.0081 है0 गै.मु.बेरा ,खसरा नम्बर 2072 रकबा 0.1214 है0 गै.मु. सडा , खसरा नम्बर 2073 रकबा 1.7806 है0 चाही सोयम , खसरा नम्बर 2074 रकबा 1.1250 है. चाही सोयम , खसरा नम्बर 2076 रकबा 2.6547 है. चाही सोयम , खसरा नम्बर 2077 रकबा 0.6637 है. चाही सोयम , खसरा नम्बर 2078 रकबा 0.9146 है चाही सोयम** में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के साथ साथ वादीया को खातेदार घोषित करने के एवं सरहद मौजा रायपुर द्वितीय के नामान्तकरण संख्या 63 को निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं एवं साथ ही फौतदगी वारिसानों के वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 की नामान्तरकरण की नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश फरमावें।

उभयपक्ष बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् **सरहद मौजा रायपुर द्वितिय पटवार हल्का रायपुर द्वितिय के खसरा नम्बर 2022 रकबा 1.0926 चाही प्रथम , खसरा नम्बर 2023 रकबा 1.1412 है0 चाही सोयम , खसरा नम्बर 2071 रकबा 0.0081 है0 गै.मु.बेरा ,खसरा नम्बर 2072 रकबा 0.1214 है0 गै.मु. सडा , खसरा नम्बर 2073 रकबा 1.7806 है0 चाही सोयम , खसरा नम्बर 2074 रकबा 1.1250 है. चाही सोयम , खसरा नम्बर 2076 रकबा 2.6547 है. चाही सोयम , खसरा नम्बर 2077 रकबा 0.6637 है. चाही सोयम , खसरा नम्बर 2078 रकबा 0.9146 है. चाही सोयम** में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के साथ साथ वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित करनें एवं सरहद मौजा रायपुर द्वितीय के नामान्तकरण संख्या 63 को निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं एवं साथ ही फौतदगी वारिसानों के वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 की नामान्तरकरण की नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश किया जाना न्यायोचित समझतें हैं।

उदयपुर।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर **सरहद मौजा रायपुर द्वितिय पटवार हल्का रायपुर द्वितिय के खसरा नम्बर 2022 रकबा 1.0926 चाही प्रथम , खसरा नम्बर 2023 रकबा 1.1412 है0 चाही सोयम , खसरा नम्बर 2071 रकबा 0.0081 है0 गै.मु.बेरा ,खसरा नम्बर 2072 रकबा 0.1214 है0 गै.मु. सडा , खसरा नम्बर 2073 रकबा 1.7806 है0 चाही सोयम , खसरा नम्बर 2074 रकबा 1.1250 है. चाही सोयम , खसरा नम्बर 2076 रकबा 2.6547 है. चाही सोयम , खसरा नम्बर 2077 रकबा 0.6637 है. चाही सोयम , खसरा नम्बर 2078 रकबा 0.9146 है. चाही सोयम** में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के साथ साथ वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। सरहद मौजा रायपुर द्वितीय के नामान्तकरण संख्या 63 को निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं एवं साथ ही फौतदगी वारिसानों के वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 की नामान्तरकरण की नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये जाते हैं। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 15.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर
बईजलास :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

श्रीमति विमला पुत्री स्व0 कालुराम जी पत्नि सत्यनारायण उम्र 30 वर्ष जाति माली निवासी झूठा रोड रायपुर तहसील रायपुर जिला पाली .....वादीया

बनाम

1– पपीया पुत्र बालुराम जाति माली
2–जगदीश पुत्र सुखा जाति माली
3–रमेश पुत्र सुखा जाति माली
4–कमली पत्नि सुखा जाति माली
5–कौशल्या पुत्र सुखा जाति माली
6–कान्ता पुत्री सुखा जाति माली
7–श्रीमान उपपंजीयन अधिकारी महोदय जी रायपुर
8–श्रीमान तहसीलदार महोदय जी तहसील कार्यालय रायपुर
9–श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी जिला पाली———प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि.

राजस्व वाद 94/2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री धर्माराम पालडिया अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव श्री भूपैन्द्र सैन मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर **सरहद मौजा रायपुर द्वितिय पटवार हल्का रायपुर द्वितिय के खसरा नम्बर 2022 रकबा 1.0926 चाही प्रथम , खसरा नम्बर 2023 रकबा 1.1412 है0 चाही सोयम , खसरा नम्बर 2071 रकबा 0.0081 है0 गै.मु.बेरा ,खसरा नम्बर 2072 रकबा 0.1214 है0 गै.मु. सडा , खसरा नम्बर 2073 रकबा 1.7806 है0 चाही सोयम , खसरा नम्बर 2074 रकबा 1.1250 है. चाही सोयम , खसरा नम्बर 2076 रकबा 2.6547 है. चाही सोयम , खसरा नम्बर 2077 रकबा 0.6637 है. चाही सोयम , खसरा नम्बर 2078 रकबा 0.9146 है. चाही सोयम** में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के साथ साथ वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। सरहद मौजा रायपुर द्वितीय के नामान्तकरण संख्या 63 को निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं एवं साथ ही फौतदगी वारिसानों के वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 की नामान्तरकरण की नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये जाते हैं। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं।नीज.....×.....मुबलिक.....×.....बाबत्.....×..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....×.....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल यावी तक .....×..... .....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.01.2024 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	4	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	10	00	मीजान			
मीजान		18	00			02	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।